न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/20

दायरा तिथि : 20.01.2022

फैसला तिथि : 24-01-23

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अब्दुल खॉ पुत्र गफूरखां जाति मोयला सा. देह खातेदार
2. उम्मेदराम पुत्र पुखराज जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
3. कमला पुत्री नारायणलाल जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
4. खीमाराम पुत्र आशा जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
5. गुलाबाराम पुत्र पूना जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
6. चतरू पत्नि वेनाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
7. चुन्नीलाल पुत्र सदा जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
8. चेलाराम पुत्र दलाराम जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
9. छगनलाल पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
10. छोटीबाई पत्नि डूँगाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
11. डिम्पल पुत्री नारायणलाल जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
12. देवा पुत्र सका जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
13. दाखूदेवी पत्नि लच्छा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
14. दानाराम पुत्र वजा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
15. दिनेश पुत्र डूँगाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
16. धरमाराम पुत्र पूना जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
17. धापू पत्नि गफूरखां जाति मोयला सा. देह खातेदार
18. नवाराम पुत्र आशा जाति मेगवाल सा. मिरगेश्वर खातेदार
19. नारायणलाल पुत्र वेनाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
20. नारायणलाल पुत्र पुखराज जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
21. पनाराम पुत्र टीमाराम जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
22. प्रकाश पुत्र चुन्नीलाल जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
23. बाबूलाल पुत्र पूना जाति हीरागर सा. करनवा खातेदार
24. भंवरलाल पुत्र लकमाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
25. मगनदास पुत्र शंभूराम जाति साद सा. करनवा खातेदार
26. मनाराम पुत्र भेरा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
27. मनीश पुत्र नारायणलाल जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
28. महेन्द्र पुत्र वेनाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
29. मानी पत्नि पुखराज जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
30. मीरा पत्नि नारायणलाल जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
31. मोटाराम पुत्र खीमा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
32. मोहन पुत्र गोमा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार रूपा पुत्र खीमा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
33. रूपा पुत्र खीमा जाति मेगवाल सा.करनवा खातेदार
34. रमजान खॉ पुत्र गफूरखॉ जाति मोयला सा. देह खातेदार
35. रमेश पुत्र डूंगाराम जाति मेगवाल सा. दे खातेदार
36. रमेश कुमार पुत्र भीखा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
37. रोशन पुत्री गफुरखॉ जाति मोयला सा. देह खातेदार
38. लच्छाराम पुत्र पना जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
39. ललितकुमार पुत्र लच्छाराम जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
40. लीलादेवी पुत्री डूंगाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
41. सुबान खां पुत्र गफूरखॉ जाति मोयला सा. देह खातेदार
42. सुरेश पुत्र चुन्नीलाल जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
43. हरजी पुत्र भीखा जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
44. हंसाराम पुत्र मना जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
45. हिमतराम पुत्र नारायणलाल जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
46. हिमताराम पुत्र समा जाति मेगवाल सा. करनवा खातेदार
47. हीराराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
48. हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति मेगवाल सा. देह खातेदार

निवासीगण करनवा व लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

पेज लगातार..02

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/20

अनवान् राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम अब्दुल खाँ वगैरा

अंतर्गत धारा प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–

1. श्री विक्रमसिंह सोलंकी............. अभिभषक अप्रार्थी सं0 43. की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 42 व अप्रार्थी संख्या 44 से 48 अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.............पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 24-01-2023

प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् पाया कि ग्राम करनवा पटवार हल्का मिरगेश्वर तहसील बाली में स्थित राजस्व कृषि भूमि खसरा नंबर 41, 42 रकबा क्रमशः 2.23 हैक्टर व 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व बारानी अव्वल का बिना आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये मौके पर मकान बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थी खातेदारान् का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार, बाली के आवेदन पर दिनांक 20.01.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रकरण संस्थापित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 48 द्वारा नोटिस तामील के बाद दिनांक 23.02.2022 को व्यक्तिशः उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या 32 की ओर से उसकी पत्नि द्वारा उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी संख्या 43 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। दिनांक 20.06.2022 की आदेशिका से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 31 तथा 33 से 42 तथा 44 से 48 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 43 के अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी को भी जवाब प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 43 का जवाब अवसर बंद करते हुये प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्णय लिया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम करनवा पटवार हल्का मिरगेश्वर तहसील बाली के खसरा नंबर 41, 42 रकबा क्रमशः 2.23 हैक्टर व 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व बारानी अव्वल अधिकार अभिलेखो में बतौर कृषि भूमि दर्ज है, परन्तु वर्णित भूमि पर पटवारी हल्का, मिरगेश्वर एवं निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी की मौका फर्द दिनांक 08.12.2021 के अनुसार मौके पर मकान बने हुये है। इस प्रकार खातेदारो का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील के बाद किसी अप्रार्थी पक्ष द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है। जिससे विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली स्वीकार किया जाता है। ग्राम करनवा पटवार हल्का मिरगेश्वर तहसील बाली के खसरा नंबर 41, 42 रकबा क्रमशः 2.23 हैक्टर व 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व बारानी अव्वल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का उल्लंघन होने से राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेशानुसार भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मिरगेश्वार को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible] पाटिल-ताते)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 24-1-23 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं मजि.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner